न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 293 / 2024

अनवान : –

1. असरफ पुत्र मोहम्मद आमीन जाति पठान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. अरशद अली पुत्र मोहम्मद आमीन जाति पठान निवासी नोहर तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. कुलदीप सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. कृष्णा देवी पत्नी लालचन्द जाति मीणा निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. गोपाल पुत्र वासुदेव जाति सोहवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सरीता पत्नी नरेश कुमार पुत्र चानणमल पुत्र अनाराम जाति सेवग निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. देवीलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
6. देवीलाल पुत्र सुल्तानसिंह जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
7. दीवान खां पुत्र उमरदीन जाति अराई निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
8. प्रेमलता पत्नी भजनलाल जाति साहेवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. भजनलाल पुत्र वासुदेव जाति सोहवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. मधूबाला पत्नी सुभाष चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. मनोज कुमार पुत्र श्याम सुन्दर जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. राजेन्द्र शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. विजय सिंह पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 11/03/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की सालयान ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 59 / 54 की कुल 1.4530 हैक्ट भूमि सायलान के पिता मो0 आमीन व गैरसायलान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायलान का खाता मुश्तरका है। वाद भूमि मुश्तरका खाता की होने के कारण सींव व डोल से संबधित विवाद बना रहता [illegible] आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है गैरसायलान संख्या 1 ता 13 सायल[illegible] बेजा करना चाहते है तथा बिना खाता विभाजन करवाये चारदीवारी व [illegible] भूमि की उर्वरा श[illegible] को कम करना चाहते है तथा सायलान को नुकसान पंहुचाने की चे[illegible] करते है इसलिए अ[illegible] को अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 59/54 की कुल 1.4530 हैक्ट की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री रविन्द्र गोदारा उपस्थित शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः शेष के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है मुताबिक कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है गैरसायलान द्वारा सायल के हक हिस्से को नही बेचा जा रहा है। सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायल व गैरसायलान का खाता मुश्तरका है। वाद भूमि मुश्तरका खाता की होने के कारण सींव व डोल से संबधित विवाद बना रहता है तथा आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है गैरसायलान संख्या 1 ता 13 सायलान के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा करना चाहते है तथा बिना खाता विभाजन करवाये चारदीवारी व तारबंदी करके भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करना चाहते है तथा सायलान को नुकसान पंहुचाने की चेष्टा करते है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की वाद भूमि मुश्तरका है मुताबिक कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा अनुसार खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है गैरसायलान द्वारा सायल के हक हिस्से को नही बेचा जा रहा है। गैरसायल स0 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है सायलान के मन में लालच आ गया है गैरसायल के हक हिस्सा की भूमि पर सायल काबिज होना चाहते है। सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र उभयपक्ष [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 59/54 की कुल 1.4530 हैक्ट भूमि सायलान के पिता मो0 आमीन व गैरसायलान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 29.11.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:22 IST
Reason: SelfAttested